कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकःशिविरा/प्रारं/विधि/ए–6/लाईटस/18 दिनांकः 03/12/2018

समस्त संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा....................

email

विषयः–प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित न्यायिक प्रकरणों की मासिक सूचना एवं विधि विभाग के लाईटस पोर्टलस पर इन्द्राज एवं अपडेशन के संबंध में।

प्रसंगः–इस कार्यालय का पत्र क्रमांक शिविरा /प्रारं विधि /ए–6 /लाईटस /18 दिनांकः 15.11.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपके कार्यालय में नियुक्त अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर आपके संभाग के अधीन समस्त प्रारंभिक शिक्षा कार्यालयों से संबंधित न्यायिक प्रकरणों की मासिक सूचना व लाईटस पोर्टल पर इन्द्राज व अपडेशन का कार्य सुनिश्चित करने हेतु लिखा गया था। निदेशालय स्तर पर न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा व लाईटस पोर्टल पर इन्द्राज व अपडेशन के संबंध में दिसम्बर माह के तृतीय सप्ताह में बैठक का आयोजन प्रस्तावित है। अतः न्यायिक प्रकरणों में निम्न कार्यवाही अविलम्ब सम्पादित कर इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेः–

1.उच्चतम न्यायालय,नईदिल्ली एवं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर बैच से संबंधित न्याचिक प्रकरणों में नियुक्त महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता से संबंधित विवरण अपडेट करे।

2.रेड केटेगरी से संबंधित प्रकरणों में Sub-Priority को अपडेट करे।

3.विभाग में निर्णित न्यायिक प्रकरणों का अपडेशन आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है। अतः ऐसे प्रकरण जो निर्णित हो चुके है उनसे संबंधित सम्पूर्ण सूचना का अपडेशन लाईटस पोर्टल पर करना सुनिश्चित करे।

4.माननीय न्यायालय में प्रकरण में हुई कार्यवाही का नियमित रूप से लाईटस पोर्टल पर अपडेशन सुनिश्चित करे।

5.सभी प्रभारी अधिकारी मंथली अपडेशन शीट को नियमित रूप से पूर्ण करे।

6.जो प्रकरण आपके कार्यालय से संबंधित नहीं है वे विभाग के अन्य कार्यालयों से संबंधित है की पूर्ण सूचना विस्तृत विवरण सहित इस कार्यालय को भिजवाये ताकि संबंधित कार्यालय को उक्त प्रकरण का अन्तरण किया जा सके।

7,लाईटस पोर्टल पर Talking Point में अंकित आपके कार्यालय से संबंधित बाकी रही याचिकाकर्ता का नाम व प्रतिवादी का नाम प्रभारी अधिकारी व राजकीय अधिवक्ता आदि से संबंधित पूर्ण विवरण अंकित करे।

www.rajteachers.com

लगातार.........2

8.विभागीय प्रकरणों में यदि नये प्रभारी अधिकारी/अधिवक्ता की सूचना जनरेट की जानी है तो उसके प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

9.आपके द्वारा प्रति माह निदेशालय को जो सूचना भिजवाई जातीहै उसकी लाईटस पोर्टल पर मंथली स्टेटस भरना सुनिश्चित करे। एवं लाईटस से संबंधित सम्पूर्ण अपडेशन की सूचना व निर्धारित प्रमाण–पत्र निदेशालय को भिजवावे।

10. न्यायिक प्रकरणों से संबंधित निर्धारित प्रारूप में मासिक सूचना आपके द्वारा नहीं भिजवाई जा रही है,मासिक सूचना निर्धारत समय पर निदेशालय को भिजवावे।

अतः उपरोक्तानुसार आप अधिनस्थ कार्यालयों से मासिक सूचना का संकलन कर एवं विधि विभाग के लाईटस पोर्टल में इन्द्राज व अपडेशन की कार्यवाही शीध्र सम्पादित करवाकर समेकित सूचना इस कार्यालय को 10 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उप विधि परामर्शी
प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपिः–

1.समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)प्रारंभिक शिक्षा,..........................को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसर आपके कार्यालय से संबंधित समस्त न्यायिक प्रकरणों की सूचना व लाईटस अपडेशन का कार्य पूर्ण कर सूचना संभाग कार्यालय के माध्यम से इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

2.जिला शिक्षा अधिकारी,प्रारंभिक शिक्षा,विधि,जोधपुर/जयपुर को भेजकर लेख है कि आपके कार्यालय से संबंधित न्यायिक प्रकरणों की सूचना व लाईटस अपेडेशन का पूर्ण कर सूचना इस कार्यालय को भिजवावे।

3.समस्त प्राचार्य,डाईटस,...................... को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसर आपके कार्यालय से संबंधित समस्त न्यायिक प्रकरणों की सूचना व लाईटस अपडेशन का कार्य पूर्ण कर सूचना संभाग कार्यालय के माध्यम से इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

www.rajteachers.com

सहायक निदेशक(विधि)
प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर